कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

//निविदा आमंत्रण सूचना//

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन राजगढ़ के अंतर्गत स्थित सर्विस बिल्डिंग में केन्टीन संचालन हेतु इच्छुक संस्थाएं, व्यक्ति एवं कम्पनी से बंद निविदा प्रस्ताव आमंत्रित की जानी है। निविदा की शर्तें संबंधी निविदा प्रलेख मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.in एवं जिला न्यायालय राजगढ़ की यू.आर.एल. https://districts.ecourts.gov.in/india/mp/rajgarh/tender पर टेण्डर के कॉलम में उपलब्ध है। इच्छुक संस्थाएं/व्यक्ति/कम्पनी अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 25.02.2020 तक सायं 5:00 बजे तक कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ में जमा कर सकते हैं।

निविदा दिनांक 26.02.2020 को दोपहर 2:00 बजे स्थापना में गठित कमेटी एवं अन्य तथा निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जावेगी। उक्त समय में निविदाकर्ता यदि उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो वह किसी अन्य को प्रतिनिधि के रूप में अधिकार पत्र के साथ उपस्थित होने के लिए संसूचित कर सकते हैं, किंतु अनुपस्थिति की दशा में किसी भी प्रकार की, की गयी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

25/1/2020

कृते–जिला एवं सत्र न्यायाधीश

राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

जिला न्यायालय राजगढ़ (ब्यावरा) स्थित केंटीन संचालन हेतु निविदा फार्म एवं शर्तें

नोटः– 01. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग राजगढ़ के पत्र क्रमांक 184/कार्यवर्ग/किराया निर्धारण/2019–20 राजगढ़ दिनांक 17.01.2020 के अनुसार केन्टीन का किराया रूपये 7604/– प्रतिमाह निर्धारित है।

केंटीन संचालन का स्थानः– जिला न्यायालय परिसर के अंदर सर्विस बिल्डिंग के अंतर्गत निर्मित केन्टीन कक्ष के लिए निर्धारित।

–:निविदा फार्मः–

प्रथम पक्षः– **निविदाकर्ता का नामः–**..

पताः–..

....

मो0नं0ः– ....

द्वितीय पक्षः– **जिला रजिस्ट्रार**
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

जिला न्यायालय परिसर राजगढ़ स्थित सर्विस बिल्डिंग के अंतर्गत केन्टीन के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से 01 वर्ष की अवधि हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन निविदाएं विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

।। निर्धारित शर्तें।।

01. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदाएं "जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़" के नाम से दिनांक **25 फरवरी 2020 के सायंकाल 05:00 बजे तक** स्वीकार की जावेगीं। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

02. अनुज्ञा शुल्क जिला न्यायालय राजगढ़ स्थित सर्विस बिल्डिंग में संचालन हेतु केन्टीन कक्ष किराया **राशि रूपये 7604/–** निर्धारित है।

03. निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ केन्टीन संचालन हेतु अग्रिम रूपये 25000/– की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट से द्वितीय पक्ष के हित में देय होगी, जो जिस निविदाकर्ता की निविदा स्वीकार कि जावेगी, उक्त निविदाकर्ता की राशि अमानत के रूप में एक वर्ष के लिए द्वितीय पक्ष के पास सुरक्षित जमा रहेगी तथा शेष निविदाकर्ताओं जिनकी निविदाएं असफल होगी, उनकी राशि निविदा की चयन प्रक्रिया के एक सप्ताह के पश्चात् मूलतः निविदाकर्ता को वापस की जावेगी।

04. निविदाकर्ता द्वारा **प्रस्तुत बंद निविदाएं प्राप्त होने पर निर्धारित तिथि 26 फरवरी 2020** को अध्यक्ष/सदस्यगण देख–रेख एवं निर्माण निगरानी समिति राजगढ़, जिला राजगढ़

के समक्ष निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोले जाकर अंतिम रूप दिया जाएगा, जिस पर अधिकतम निविदाकर्ता की निविदा मान्य होगी। उक्त राशि 6 माह की अग्रिम राशि चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से केन्टीन संचालन के एक सप्ताह पूर्व अनुबंध सहित द्वितीय पक्ष "जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़" के हित में जमा कराना होगा। आगामी शेष 06 माह की राशि प्रथम 06 माह समाप्त होने के 15 दिवस शेष रहने के पूर्व जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

05. केन्टीन जिन निविदाकर्ताओं के पक्ष में अंतिम रूप से स्वीकार होती है, एक वर्ष के संचालन के उपरांत यदि वह आगामी एक वर्ष के लिये संचालन चाहते हैं, तो पूर्व से निर्धारित किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि पर देय होगी। जिसके लिये निविदाकर्ताओं को संचालन अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

06. निविदाकर्ता द्वारा निविदा शर्तों के अधीन लिये गये केन्टीन एक वर्ष की अवधि के लिये होगी, यदि निविदाकर्ता द्वारा एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व संचालन बंद किया जाता है तो अमानत के रूप में जमा राशि जप्त/राजसात की जाकर शासन के हित में जमा जावेगी।

07. निविदाकर्ता द्वारा निविदा की शर्तों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से किन्हीं भी परिस्थितियों में उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के केन्टीन का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर की राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी।

08. केन्टीन संचालक के संदर्भ में प्रथम पक्ष/द्वितीय पक्ष के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का क्षेत्राधिकार/निराकरण जिला न्यायाधीश, राजगढ़ को होगा, जो प्रथम पक्ष पर बंधनकारी होगा।

09. निविदाकर्ता द्वारा केन्टीन के संचालन के संदर्भ में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से अनुमति लिये बगैर किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन कार्य नहीं करेगा, ऐसा किये जाने पर अनुज्ञा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

10. केन्टीन संचालनकर्ता, स्वच्छता/साफ–सफाई/पारदर्शिता के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। किन्ही भी परिस्थितियों पर उपरोक्त के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर अनुज्ञा निरस्त/समाप्त की जा सकेगी।

11. केन्टीन संचालनकर्ता को विद्युत के निस्तारण/विस्तारण के संबंध में स्वयं के नाम से नियमानुसार विद्युत कनेक्शन/मीटर का संयोजन कराया जाकर भुगतान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

12. केन्टीन संचालनकर्ता को खाद्य सामग्री विक्रय की दरों का अनुमोदन द्वितीय पक्ष से कराया जाना आवश्यक होगा, साथ ही अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी।

13. केन्टीन संचालनकर्ता को केन्टीन का संचालन कार्य दिवसों में प्रातः 09:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक ही निर्धारित रहेगा। यदि बिना किसी पूर्व सूचना दिये कार्य दिवसों में केन्टीन का संचालन बंद होना पाया जाता है तो 1000 रूपयें प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

14. न्यायालय परिसर के अंदर किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियां एवं मादक पदार्थों अथवा दृव्यों जैसे धूम्रपान, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट तथा शासन द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन एवं सिंगल यूस प्लास्टिक इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, संलिप्त पाये जाने पर विधि अनुसार संचालनकर्ता के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्देश/आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

15. केन्टीन संचालनकर्ता द्वारा बंद निविदा के साथ पहचानपत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

16. निविदाएं प्राप्त करने का समय प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक रहेगा।

17. केन्टीन संचालन हेतु अनुबंध 500/– रूपये के स्टाम्प में मान्य होगा, जो प्रथम पक्ष के लिये बंधनकारी होगा एवं निविदाएं सफल होने पर सफल निविदाकर्ता को 15 दिवस के अंदर अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

" मुझे निविदा की समस्त शर्तें स्वीकार है।"

....
....

जिला रजिस्ट्रार
कार्या.–जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0
(द्वितीय पक्ष)

हस्ताक्षर
निविदा प्रथम पक्ष